



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 19 /मण्डार/2018

भोपाल, दिनांक: 10-4-2018

वाहन सेवाओं के लिये द्वितीय ई-निविदा -- वर्ष 2018

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यालयीन कार्य के उपयोग में आने वाले वाहनों की सेवाओं के लिए ट्रेवल एजेंसियों/फर्मों से ऑन-लाइन द्वितीय ई-निविदा वर्ष- 2018 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, निविदा शर्तें, अन्य विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर जाकर-आन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 तथा सुरक्षा निधि रु. 1,00,000=00 है। इन्हें ऑन-लाइन जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 40,00,000=00 है। प्रकाशन पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर ही जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है-

स.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फर्म डाउनलोड करने की तिथि	11-4-2018	11-00
02	निविदा फर्म डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	02-05-2018	15-00
03	निविदा फर्म ऑन-लाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02-05-2018	17-00
04	निविदा खोलने की तिथि (निविदा फर्म तथा सुरक्षा निधि सहित)	03-05-2018	15-30
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	03-05-2018	16-00
06	द्वितीय निविदा खोलने की तिथि	07-05-2018	15-30

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर भी उपलब्ध है।


कुलसचिव


अनुमान अधिकारी (मण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग - 1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र <https://mpeproc.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी जानकारी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर भी उपलब्ध है।
- 1.2 यह निविदा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के उपयोग के लिए स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दूरी पर ए.सी./नॉन ए.सी. वाहन उपलब्ध कराने के लिए टेंडरक्स एजन्टियों से आमंत्रित की जा रही है।
- 1.3 वेब-साइट <https://mpeproc.gov.in> पर ऑन-लाइन प्रक्रिया से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साइट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 40,00,000-00 है।
- 1.4 निविदा ऑन-लाइन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड करने की तिथि	11-04-2018	11-00
02	निविदा फार्म डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	02-05-2018	15-00
03	निविदा फार्म ऑन लाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02-05-2018	17-00
04	निविदा खोलने की तिथि (निविदा फार्म तथा सुरक्षा निधि राशि)	03-05-2018	15-30
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	03-05-2018	16-00
06	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	07-05-2018	15-30

- 1.5 यदि निविदा खोलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर दोपहर 3-30 बजे खोली जावेगी।
- 1.6 **प्रक्रिया-1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार मात्र) है। सुरक्षा निधि रुपये 1,00,000-00 (रुपये एक लाख मात्र) है। इन्हें ऑन लाइन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रकमों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।
- 1.7 **प्रक्रिया-2:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज रकम कर अपलोड किये जाने हैं।
- 1.8 **प्रक्रिया-3:** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य भावी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग - 2
निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 ट्रेवल एजेंसी/फर्म द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13) में से किसी तीन वर्षों में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव हो। एक वर्ष में एक से अधिक संस्थाओं के कार्य आदेश की कुल संख्या मान्य होगी। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें।
- 2.2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2016-17, 2015-16, 2014-15) में से किसी दो वर्षों में न्यूनतम ₹0 1-00 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। ट्रेवल एजेंसी/फर्म को टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि तथा आडिटेड बैलेंसशीट तथा लेखे संलग्न करने आवश्यक है।
- 2.3 पिछले तीन असेसमेंट वर्षों (2017-18, 2016-17, 2015-16) इनकम टैक्स रिटर्न छायाप्रति भी संलग्न करें।
- 2.4 ट्रेवल एजेंसी/फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो ₹0-1000-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 2.5 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर ट्रेवल एजेंसी/फर्म की मोहर लगाकर अधिकृत हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जाएगा।
- 2.6 (क) जी0एस0टी0 (GST) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) ट्रेवल एजेंसी/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.7 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्विकार की जाएगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।
- 2.8 ट्रेवल एजेंसी/फर्म के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें जीप, बोलरो, सुनो, इंडिका, इंडिगो, स्टीप्ट डिजायर, टवेश, स्कापियो, इनावा, जायलॉ, बस 32 सीटर टाटा 407 लोडिंग आदि सम्मिलित होना चाहिए) अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। जो कि अप्रैल-2016 के परचात निर्मित हो एवं उससे भी अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी प्रपत्र ए-2 अनुसार प्रस्तुत करें। ट्रेवल एजेंसी/फर्म को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ प्रपत्र ए-2 के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 2.9 सभी वाहन टैक्सी कोट से पंजीकृत होना अनिवार्य है।


अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
भारतखिला विश्वविद्यालय, भोपाल

भाग - 3
निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 सफल निविदाकार को कुल निविदा राशि की 5 प्रतिशत की निष्पादन प्रतिभूति बैंक गारण्टी के रूप में विश्वविद्यालय के पक्ष में अनिवार्य रूप से देना होगा। ट्रेवलस ऐजेंसी/फर्म की सुरक्षा निधि राशि रु. 1,00,000=100 बैंक गारण्टी के रूप में परिवर्तित होकर विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगी। बैंक गारण्टी का स्थापन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। कार्य आदेश के पूर्व शेष राशि रु. 1,00,000=100 की बैंक गारण्टी सफल निविदाकार को प्रस्तुत करना होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बैंक गारण्टी को राजस्व का उसका नकदीकरण किया जा सकेगा। सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि भी विश्वविद्यालय में सुरक्षित रहेगी।
- 3.2 सफल निविदाकार को विश्वविद्यालय के साथ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध न करने पर उसकी बैंक गारण्टी जफ्त कर ली जावेगी।
- 3.3 सफल निविदाकार से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 3.4 विश्वविद्यालय सफल निविदाकार की कार्य क्षमता एवं सन्तोषजनक सेवा को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। सेवा में वृद्धि हेतु मूल दर में कोई वृद्धि शून्य नहीं होगी।
- 3.5 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
- 3.6 कार्य सन्तोषजनक न होने या ट्रेवलस ऐजेंसी/फर्म द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में ट्रेवलस ऐजेंसी/फर्म का कार्य आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, सोपल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जफ्त की जावेगी।
- 3.7 कार्य में त्रुटि या विलम्ब होने पर निम्नानुसार दण्ड अधिशेषित किया जा सकेगा:-
(क) त्रुटि:- निविदा में दी गई शर्तों के अनुरूप वाहन सेवा प्रदाय न करने पर दैनिक से 5 प्रतिशत कटौती की जाएगी।
(ख) विलम्ब:- विलम्ब से वाहन प्रदाय करने पर प्रस्तुत दैनिक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत कटौती प्रति सप्ताह होगा।
(दण्ड अधिशेषित करने का निर्णय कुलमतिओं के विवेकधीन होगा)।
- 3.8 निविदा के किनिश्लय हेतु दरें कर रहित (Without Tax) होंगी। लागू करों को अलग से दर्शाया जाये।
- 3.9 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.10 ट्रेवलस ऐजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये दैनिकों के भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस एवं अन्य करों की कटौती की जावेगी।
- 3.11 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु तथ्य परक कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.12 वाहनों के परमिट रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टैक्स, पी.यू.सी. प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का अद्यतन (UPDATE) होना अनिवार्य है। इन मामलों में परिवहन नियमों का पालन करना ट्रेवलस ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

अधिकारी (मि. 30)
वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, सोपल

- 3.13 ट्रेवल एजेंसी/फर्म के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का बीमा भी शामिल हो।
- 3.14 प्रदाय किये जाने वाले वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य होगा।
- 3.15 ट्रेवल एजेंसी / फर्म / वाहन धालक को दिशविधि के नियंत्रण से रहकर विधि द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
- 3.16 वाहन धालक के पास कैश ड्रायविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य होगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कमी / त्रुटि की ज़ाब्तदारी ट्रेवल एजेंसी / फर्म की होगी।
- 3.17 वाहन धालक को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनका व्यवहार / आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन धालक द्वारा दुरुव्यवहार करने पर वाहन ट्रेवल एजेंसी / फर्म को "ब्लैक लिस्ट" किया जा सकेगा और इसके कारण विश्वविद्यालय को हुई क्षति की वसूली निविदा की शर्तों के तहत से की जावेगी। दुरुव्यवहार करने पर वाहन धालक पर रु. 100000 प्रतिदिन की दर से दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।
- 3.18 विश्वविद्यालय की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार की दुर्घटना या घड़ी होने पर उससे संबंधित सेवा आदि की समस्त ज़ाब्तदारी ट्रेवल एजेंसी/फर्म की होगी। यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर दो घंटों के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में स्वयं के व्यय पर वाहन की व्यवस्था करने पर वाहन पर होने वाला समस्त व्यय ट्रेवल एजेंसी पर भारित होगा।
- 3.19 ट्रेवल एजेंसी/फर्म को टेलिफोन पर या लिखित में वाहन की मांग किसी भी समय किये जाने पर वाहन अधिकतम 2 घंटे में उपलब्ध कराना होगा।
- 3.20 यात्रा के दौरान विश्राम तथा भोजन आदि की व्यवस्था वाहन धालक / ट्रेवल एजेंसी/फर्म को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
- 3.21 भोपाल (मुख्यालय) से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा।
- 3.22 वाहन पर लगने वाले समस्त कर ट्रेवल एजेंसी/फर्म द्वारा वहन किये जावेंगे।
- 3.23 सकल ट्रेवल एजेंसी/फर्म द्वारा प्रत्येक माह देयक दो प्रतियों में कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। इस देयक के साथ लगभुक / ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम, पद तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।
- 3.24 विश्वविद्यालय के कार्य के लिए वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, परमिट शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वार्षिक व्यय की पूर्ति की जावेगी।
- 3.25 विश्वविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कहीं भी, कहीं भी वाहनों की मांग की जा सकती है। ट्रेवल एजेंसी/फर्म को उस स्थान में स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
- 3.26 प्रदाय किये वाहन के माइलोमीटर की रीडिंग कार्यस्थल से प्राप्त होकर कार्यस्थल पर समाप्त होगी। माइलोमीटर की रीडिंग की फोटो देयक के साथ लगाना अनिवार्य होगी।


अधिकारी (अभ्यर्थी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

- 3.27 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर समिति स्वयंचालित से पैरामीटर / प्रक्रिया निर्धारित कर अफजल निविदाकारों के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3.28 वाहन चालक निर्धारित रुकी में होना तथा बर्दी पर उसके नाम की पट्टी लगी होना चाहिए।
- 3.29 वाहन चालक के पास सौबाईल होना अनिवार्य है। इसका व्यय एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
- 3.30 निविदा की शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।
- 3.31 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.32 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।
- 3.33 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।
- 3.34 निविदाकारों को वित्तीय निविदा प्रपत्र ए-3 में प्रस्तुत की जाना है।




सहायक अधिकारी (अवकाश)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कापी अपलोड की जाना है।

सं० क्र०	विवरण
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रुपये 1000=00 आन-लाइन जमा की रसीद।
02	सुरक्षा निधि की राशि रुपये 1,00,000=00 आन-लाइन जमा की रसीद।
03	ट्रैवल एजेंसी/फर्म द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2018-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13) में से किन्हीं तीन वर्षों में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव हो। एक वर्ष में एक से अधिक संस्थाओं के कार्य आदेश की कुल संख्या मान्य होगी। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करे।
04	पिछले तीन वित्त वर्षों (2016-17, 2015-16, 2014-15) में से किन्हीं दो वर्षों में न्यूनतम रु० 1=00 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। ट्रैवल एजेंसी/फर्म को टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रतिलिपि तथा आडिटेड बैलेंसशीट तथा लेखे संलग्न करने आवश्यक है।
05	पिछले तीन अकम्प्लेंट वर्षों (2017-18, 2016-17, 2015-16) इनकम टैक्स रिटर्न छायाप्रति भी संलग्न करे।
06	ट्रैवल एजेंसी/फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कमी भी बैंक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु० 1000=00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
07	जीएसटी (GST) नंबर की छाया प्रति संलग्न करे।
08	PAN CARD (आयकर) की छाया प्रति संलग्न करे।
09	ट्रैवल एजेंसी/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करे।
10	निविदा प्रपत्र ए-1
11	ट्रैवल एजेंसी/फर्म के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें जीप, बालेरी, सूनी, इंडिका, इंडिगो, स्वीफ्ट डिजायर, टाटा, स्कामिया, इनोवा, जायलो, बस 32 सीटर, टाटा 407 लॉडिंग आदि सम्मिलित होना चाहिए) अनुबद्धित एवं ध्वस्ययिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। जो कि अप्रैल-2016 के पश्चात निर्मित हो एवं उससे भी अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी प्रपत्र ए-2 अनुसार प्रस्तुत करे। ट्रैवल एजेंसी/फर्म को वाहनों के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण निविदा के साथ प्रपत्र ए-2 के साथ प्रस्तुत करना होगा।

अनुमान अधिकारी (अपलाड)
अकाउंट्स विभाग, बी...

पत्र ए-1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति:
कुलसचिव,
बनकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:- वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष-2018 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ट्रेवल एजेंसी/फर्म की जानकारी निम्नानुसार है:-

सं0 क्र0	विवरण
01	फर्म का नाम
02	पत्र व्यवहार का पता
03	ट्रेवल एजेंसी/फर्म के प्रतिनिधि का नाम
04	घटनाम
05	सुरक्षा नम्बर (मोबाईल एवं लैण्डलाईन)
06	ई-मेल

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3" में दर्शित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय की लिये वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष-2018 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील


अधिकारी (अध्यापक)
बनकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

वाहन सेवाओं के लिए निविदा वर्ष | 2018

प्रपत्र ए-2

सं.क्र.	वाहन का प्रकार	एजेंसी / फर्म व्यावसायिक वाहन का पंजीयन क्रमांक	न का	निर्मित वर्ष (माडल वर्ष)	वाहन का बीमा	एजेंसी / फर्म मालिक का नाम
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						




 अधिकारी (विपणन)
 दिल्ली विश्वविद्यालय, भीमताल

शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित
रु. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर

मैं _____ द्वारा प्रोग्राइटर मेसर्स _____

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-

- (1) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
- (2) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म पर सम्बन्धी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।
- (3) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म/यह किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।
- (4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।



शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निम्नलिखित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहीता


राज आशिषकारी (नोटरी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

हरकतउल्ला विश्वविद्यालय, नेपाल

प्रपत्र ए-3

(वित्तीय निविदा)

<p>ड्रेवल एजेंसी / फर्म का नाम</p>	
------------------------------------	--

सहायक अधिकारी
हरकतउल्ला विश्वविद्यालय, नेपाल

सं.क्र.	वाहनो का प्रकार एवं दरे	3	4	5	6	7	8
1		स्पाटिज / बाइर 4 टाई 80 कि०मी०	स्पाटिज / बाइर 4 टाई 60 कि०मी० के अतिरिक्त प्रतिदिन	स्पाटिज / बाइर 8 टाई 80 कि०मी०	स्पाटिज / बाइर 8 टाई 80 कि०मी० के अतिरिक्त प्रतिदिन	स्पाटिज / बाइर 12 टाई 100 कि०मी०	स्पाटिज / बाइर 12 टाई 100 कि०मी० के अतिरिक्त प्रतिदिन
1	जीप / बोलर / सुथो समकक्ष गोन ए.सी. के समकक्ष						
2	इडिका नाम ए.सी. के समकक्ष						

02
राज्य शिक्षा विभाग
अध्यापक भर्ती विभाग
राज्य शिक्षा विभाग